

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री घेवरचन्द पुत्र नानुराम कीर निवासी शंभुगढ़ तह0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा
बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :- 09/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4-03-2025	<p style="text-align: center;">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 12-12-2024 में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द रेस्पोंडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 30-01-2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द ने जरिये पत्र 1549 दिनांक 04-03-2025 से अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द द्वारा जरिये पत्रांक 141 दिनांक 03-03-2025 से प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। जिसकी प्राप्ति रसीद उक्त अपील की जवाब के समर्थन में अभिलेख पर मौजूद है।4. अपीलार्थी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति एवं एतराज प्रस्तुत किया जाना अभिलेख पर मौजूद नहीं है और अपीलार्थी से किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज भी प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है। <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 04-03-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा</p>	

